कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

उर्वरक प्रशाखा

पत्र संख्या- उ०को०/रसा० अनु०(कृ) - 02/2020 🔏 5 3

/ कृ0, पटना, दिनांक 24.03. • 2020

कार्यालय आदेश

मे0 हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा0 लि0, रानीगंज रोड, फारबिसगंज विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र सं 330 दिनांक 24 103 2020वैधता तिथि 25 109 2020तक के लिए निर्गत किया जाता है। इस संदर्भ में निम्न निदेश दिए जाते है :-

1 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सभी धाराओं का आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।

- 2. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत घोषित उर्वरक निरीक्षक समय-समय पर उर्वरक के नमूने जाँच हेतु लेंगे तथा आपके प्रतिष्ठान की प्रयोगशाला सुविधा एवं आपके द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच करेंगे।
- 2. आपके बफर गोदाम का भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित
- 3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
- 4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 4806 दिनांक 29.10.2013 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- 5. यदि किसी कारणवश विनिर्माण कार्य बंद किया जाता है तो इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी तथा कृषि निदेशक, बिहार को अविलंब दिया जाय। इसी प्रकार विनिर्माण कार्य प्रारम्भ करने की भी सूचना अविलंब दोनो पदाधिकारी को पूर्व में
- 6. प्रतिष्ठान द्वारा खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों(ग्रेड NPK-18:24:12, NPK-18:28:12, NPK-15:25:15) की बिक्री कृषको को करेंगें।
- 7. प्रत्येक माह के 10 तारीख को विनिर्माण एवं विपणन संबंधी प्रातिवेदन कृषि निदेशक, बिहार एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 8. यदि स्थल जाँच प्रतिवेदन प्रतिकूल पाया गया तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आपके विरूद्ध कार्रवाई की जायगी।
- 9. उपरोक्त किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र निलंबित/रद्द किया जा सकेगा एवं इस आधार पर विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र का नवीकरण भी अस्वीकृत किया जा सकता है।
- 10 . आप ट्रायल उत्पादन कर इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी, अरिया को देंगे।
- 11. जिले के नजदीकी कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रतिष्ठान के ट्रायल में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।
- 12. संचिका संख्या— उ०को० / रसा० अनु०(कृ) 02/2020 के पृष्ठ संख्या— 🎿 /टि० पर दिनांक 19.0% १०% को कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डॉ0 ब्रजेश कुमार)

संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र-सह-वरीय पदाधिकारी, उर्वरक अनुज्ञप्ति, बिहार, पटना।

जापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला कृषि पदाधिकारी, अरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरको का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0 / -

संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र-सह-वरीय पदाधिकारी, उर्वरक अनुज्ञप्ति, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

दिनांक :

2020

प्रतिलिपिः मे0 हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा0 लि0, रानीगंज रोड, फारबिसगंज अरिया बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र-सह-वरीय पदाधिकारी, उर्वरक अनुज्ञप्ति, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 253

दिनांक : 24 • 0 3 /

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र-सह-वरीय पदाधिकारी, उर्वरक अनुज्ञप्ति, बिहार, पटना।



EMBLEM FORM 'F'

330

[See clause 15(2) and 18 (2)]

Sl. No. :

Book No. :V

Certificate No. 330 Date of Issue 24-03-2020 Valid up to 23.09, 2020

Certificate of Manufacture in Respect of

Physical/Granulated Mixture/Organic Fertilizer/Bio-Fertilizer	
FOX Des 39001 Araxia (N	lame of Manufacturer) is hereby given the certificate for organic fertilizer / bio fertilizer specified below subject to e provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985.
Full Particulars of the granulated/physical mixture of fertilizers. organic fertilizer/bio fertilizer Special Mixture of fertilizer Date: (NPK-18:24:12) (NPK-18:28:12) (NPK-15:25:15) Seal:	Full address of the premises where the mixture of fertilizer or mixture of micronutrient fertilizers. Fertilizer/bio fertilizer will be made. MIS Itimolaya agro chemicals private Limited Ranigani Road Forbesgani Aran Registering Authority:
	State: Bihar
	Renewed up to:

Date:

Seal: 301 Popul

Registering Authority:

State: Bihar

3,03,000 DIRECTOR OF AGRICULTURE CUM

REGISTERING, AUTHORITY, GOVT OF BIHAR PATMA

Terms and conditions of this certificate

- The holder of this certificate shall display the original thereof in a conspicuous place open to the public in a part (1) of the principal's premises in which business of making the physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer is carried on and also a copy of such certificate in similar manner in every other premises in which that business is carried on. The required number of copies of the certificate shall be obtained on payment of the fees thereof.
- The holder of this certificate shall not keep in the premises in which he carries on the business of making (2) physical/granulated mixture of bio fertilizers/organic fertilizer in respect of which a certificate of registration has not been obtained under the Fertilizer (Control) Order, 1985.

The holder of this certificate shall comply with the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and the (3) notification, order and direction. issued there-under for the time being in force.

The holder of the certificate shall report forth with to the Registering Authority any emerge in the premises (4) specified in the certificate or any new premises in which carried on the business of making physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer and shall produced before the authority the original certificate and copies thereof show that necessary correction may be made therein by that authority.

The holder of the certificate shall insure that the physical/granulated mixture/ organic fertilizer/ bio fertilizer in respect of which a certificate of registration has been obtained his prepared by him or by a person having such (5) qualification as may be prescribed by the State Government from time to time or by any other person under the rection, supervision and control of the holder or the person having the said qualifications.